न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र० सं० 01/15
दायरा दिनांक 12/1/15
निर्णय दिनांक 2/12/19

[illegible]

छोगालाल उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल जाति सुथार निवासी कानपुरा हाल निवासी कमलाखेड़ी के पास बारां तहसील बारां (राज०)

- वादी -

- बनाम -

(1) [illegible] उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल जाति सुथार निवासी कमलाखेड़ी के पास बारां तहसील बारां (राज०)
(2) [illegible] उम्र 10 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ जाति सुथार निवासी कानपुरा तह० किशनगंज जिला बारां (राज०)
(3) राज० सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 151 CPC

निर्णय दिनांक 2.12.19

प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 151 C.P.C. इस आशय का पेश किया। यह कि उक्त आवेदन का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी

उपखण्ड अधिकारी

व पक्षकारों से सम्बन्धित वाद प्रकरण सं० ा/
बटनवान रामस्वरूप बनाम रामभरोस वगै० न्यायाल
सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज के
विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा
एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद पेश कर रखा है
उक्त वाद के वादी की तामील भी हो चुकी है तथा
आगामी को वादी रमेशचन्द व प्रतिवादी रामभरोस प्र
को बेचान कर चुके है। जिसका रजिस्टर्ड भी विधिवत
अनुपालनार्थ वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन
से उक्त वाद सम्माननीय न्यायालय में चलने योग्य
है। वादी का वाद खारिज होने योग्य ।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद खारिज करने की
कृपा करें।

वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र धारा 10 व धा
151 C.P.C. की नकल तामील की गई। वादी अधि
ने इस आशय का जवाब पेश किया

1. यह कि प्रार्थी रामस्वरूप ने विधि विरूद्ध उक्त प्र
पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी ने उ
प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय का कोई दस्तावे
पेश नहीं किया है। उक्त उनवान का वाद माननीय
न्यायालय में वर्ष 2015 से जेरकार है। जो वर्तमा
में साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थी रामस्वरूप ने इस
न्यायालय में 10.4.15 को अपनी उपस्थिति दी
प्रार्थी जानबूझकर प्रकरण को विलम्ब करना चाहता है

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा
का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र धारा 10 व धारा 151 CPC पर
पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी
अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी वादी को क्रेता
बता रहे हैं। जबकि खरीददार भी बता रहे हैं। दावा
2015 से जेरकार है, जवाब मे कोई काउंटर क्लेम नहीं
तहरीर मे खाता नं० नहीं लिखा है। खातेदारों को प्रतिवादी
बनाकर धारा 88 89 53 RTA का वाद दायर किया है।
इकरारनामा 1990 मे लिखा है। जिसमे रामभरोस ने
मुझे जमीन बेच दी थी। तहरीर 1991 की है। अभी
तक कैसे लेकर बैठे थे। 2019 मे जाकर नोटिस दिया है।
किस मालिक बन कैसे बेच सकता हूं। सिविल कोर्ट मे
वाद शुरुआती स्तर पर ही है। इस न्यायालय का दावा
2015 का है। सिविल कोर्ट मे 2018 का है। वाद न्यायालय
मे चलने योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया
इसी आराजी और इन्ही पक्षकारो के मध्य प्रकरण संख्या 48
जवाब रामस्वरूप बनाम रामभरोस न्यायालय सिविल
न्यायालय किशनगंज मे जेरकार है। वहां मे वादी हूं
स्पेसिफिक परफारमेन्स का वाद है। वादी ने प्रतिवादी के
विरुद्ध जवाब भी पेश किया है। कब्जा भी दिया है।
सिविल न्यायालय मे चलने योग्य है। इसका
क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को ही है। काउन्टर क्लेम
देने का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि डिक्लेरेशन का
अधिकार सिविल कोर्ट को है। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध
राजस्व रेकर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।
अधोपान्त विवेचनानुसार प्रतिवादी अधिवक्ता का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 151 सी
स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय
पारित किया जाता है। कि प्रतिवादी अधिवक्ता का
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 151 सी
स्वीकार किया जाता है। वाद वादी खारिज किया
जाता है। निर्णय आज दिनांक 2/12/17 को
खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.07 14:53:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: